# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

**पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस**

**राजस्व अपील संख्या : 09/2021**

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

01. हरखू देवी पत्नि मदाराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी मुसलमानो की ढाणी ग्राम पंचायत दूदिया पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्न जिला बाड़मेर (पुत्री दलाराम)

01. सरपंच ग्राम पंचायत दूदिया कलां
02. दलाराम पुत्र समाराम उम्र 77 वर्ष
03. नेनूदेवी पत्नि थानाराम उम्र 46 वर्ष
04. लाछी देवी पत्नि पुरखाराम उम्र 46 वर्ष
05. धर्मीदेवी पत्नि चीमाराम उम्र 41 वर्ष जाति जाट निवासी मुसलमानो की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
06. तहसीलदार धोरीमन्ना।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 08.11.2021 जो ग्राम पंचायत दूदिया कलां द्वारा पारित किया गया**

तारिख रजू : 04.12.2021

अधिवक्ता

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

## –: निर्णय :–

दिनांक : 27.02.2024

वकील मय अपीलान्ट ने एक अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम की पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 08.11.2021 जो ग्राम पंचायत दूदिया द्वारा पारित किया गया जिसमें दलाराम द्वारा अपनी पुत्रवधुओ के नाम किये गये बैचान के आधार पर पारित किया गया परन्तु दला का हिस्सा ऑनलाईन सेरीग्रेसन में गलत खुला हुआ होने से उतरदाता संख्या 1 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का बैचान कर दिया जबकि राजस्व रेकर्ड में भूलवश गलत हिस्सा दर्ज किया गया क्योंकि उक्त भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा बनता है [illegible] हिस्सा ही उतरदाता संख्या 1 का बनता है तथा 1/2 हिस्सा का ही बैचान कर सकता [illegible] क्योंकि उक्त खेत मुल खसरा संख्या 19 रकबा 150 बीघा वर्ष 1992 में अपीलान्ट की [illegible] जेती के नाम दर्ज हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

जेती ने 1/2 हिस्सा दलाराम को बैचाण कर दिया जो नामान्तरकरण संख्या 04 द्वारा खसरा संख्या 19/1 कायम हुआ तथा गुल खसरा 19 जो जेती के नाम 75 बीघा का दर्ज था जिसमें से सम्पुर्ण हिस्सा बैचाणनामा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 60 पेज नम्बर 103 के क्रम संख्या 306/97 द्वारा आधा हिस्सा हरखू ने व आधा हिस्सा दलाराम ने संयुक्त रूप से खरीदा यानि अपीलान्ट की 37-10 बीघा भूमि नाम दर्ज हुई इस प्रकार इस सम्पुर्ण हिस्से में से दोनो ने संयुक्त रूप से 30 बीघा भूमि सताराम पुत्र हुकमाराम को 17.03.1997 को बैचान कर दी इसीलिए अब यह खसरा नवसृजित 46/19 रकबा 45-00 बीघा दोनो के संयुक्त रूप से यानि 22-10 बीघा हरखू की व 22-10 बीघा दलाराम के नाम दर्ज हुई जो हल्का पटवारी द्वारा जारी किसान कार्ड में स्पष्ट रूप से हरखू का 1/2 हिस्सा खुला हुआ है यानि पुर्व से ही यह साबित था कि हरखू का इस आराजी में 1/2 हिस्सा बनता है परन्तु कुछ माह पुर्व ऑनलाईन सेरीग्रेसन से परिवर्तित खसरा संख्या 46/19 क्षेत्रफल 7. 2843 हेक्टेयर यानि 45-00 बीघा में हिस्सा खेलते समय गलत रूप से अपीलान्ट का 2/15 हिस्सा यानि मात्र 6 बीघा कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने राजस्व न्यायालय से स्थगन लिया परन्तु इस गलत हिस्से की उतरदाता को जानकारी होने पर उतरदाता ने अपनी पुत्रवधु उतरदाता संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज करवा दिया तब अपीलान्ट को इसकी जानकारी होने पर तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रार्थना पत्र पेश कर ऑनलाईन सेरीग्रेसन में हुई त्रुटि को दुरस्त कर उसके बाद ही नामान्तरकरण पारित करने का निवेदन किया परन्तु हल्का पटवारी ने दिपावली की छुट्टी के दिन दिनांक 05.11.2021 को नामान्तरकरण संख्या 156 भरकर सरपंच के समक्ष पारित करने हेतु पेश किया जो बिल्कुल ही गलत रूप से किया गया तथा सरपंच द्वारा स्वीकार करना भी अवैध व अनुचित होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 08.11.2021 जो ग्राम पंचायत दूदिया कला द्वारा पारित किया को अपास्त कर पुनः अपीलान्ट का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित करावें

अपील पेश हुआ दर्ज रजिस्ट्रर कर उतरदातागण को जरिये डाक से तलब किया नोटीसो की डाक रसिदे प्राप्त हुई रेस्पोडेट संख्या 3 से 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा इस आश्य का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट हरखू देवी पत्नि मदाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी मुसलमानो की ढाणी मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर व उतरदाता दल्लाराम पुत्र समाराम, नेनूदेवी पत्नि थानाराम, लाछी देवी पत्नि पुरखाराम, धर्मी देवी पत्नि चीमाराम जाति जाट निवासी मुसलमानो की ढाणी मांगता का वर्तमान खसरा संख्या 46/19 रकबा 45 बीघा में अपीलान्ट 1/2 हिस्से की खातेदार थी परन्तु ऑनलाईन करते समय हल्का पटवारी द्वारा हरखू का हिस्सा 1/2 की जगह 2/15 दर्ज हो गया तथा दल्ला के हिस्सा 1/2 की जगह 13/15 दर्ज हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

था इस त्रुटि के कारण दल्लाराम द्वारा निष्पादित बेचाननामे में हिस्सा गलत इन्द्राज हो गया तथा नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 05.11.2011 को पारित में भी हिस्सा गलत इन्द्राज हो गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 156 में अपीलान्ट का खसरा संख्या 46/19 क्षेत्रफल 7.2843 हेक्टेयर में अपीलान्ट का 1/2 तथा उतरदाता संख्या 03 से 05 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज होने के काबिज है तथा इस संबंध में ऑनलाईन त्रुटि को दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया परन्तु तब तक आलोच्य नामान्तरकरण पारित हो जाने से हिस्सा दुरस्त नहीं हो सका इसीलिए नामान्तरकरण को अपास्त कर पुनः ग्राम पंचायत दूदिया कलां को वास्तविक हिस्सा अनुसार पारित करने हेतु रिमांड करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है तथा हम सभी पक्षकार इस हेतु सहमत है।

ग्राम मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का मांगता के खेत खसरा संख्या 46/19 क्षेत्रफल 7.2843 हेक्टेयर रकबा 45 बीघा में अपीलान्ट हरखू का 1/2 हिस्सा बनता है तथा उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड तथा बेचाननामा में भी दुरस्त किया जाता है तो सभी पक्षकारों को कोई आपति नहीं तथा नामान्तरकरण में इस खसरे में हिस्सा गलत इन्द्राज होने से संसोधित योग्य है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपील को जरिये राजीनामा नामान्तरकरण अपास्त कर पुनः सही हिस्सा दर्ज करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना व सरपंच ग्राम पंचायत दूधिया कलां को पुनः प्रेषित कर संसोधन का आदेश प्रदान करावें।

राजीनामा को उतरदाता संख्या 3 से 5 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर तस्दीक करवाया बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया उतरदाता संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई ग्राम पंचायत ने कोई जवाब व दस्तावेज पेश नही किये गये अपीलान्ट अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की विस्तार पुर्वक बहस सुनी गई दस्तावेजो का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त आराजी को क्रय करने के पंजिबद्ध दस्तावेज का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट हरखू व उतरदाता दलाराम ने संयुक्त रूप से आधी आधी भूमि क्रय की तथा 30 बीघा का बैचान भी संयुक्त व बराबर किया तथा शेष रही 45 बीघा का पुराणा किसान क्रेडिट कार्ड में हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज किया हुआ है इसीलिए 45 बीघा भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा प्रमाणित है तथा ऑनलाईन सेरीग्रेसन में गलत हिस्सा दर्ज होना उतरदाता संख्या 03 से 05 ने [illegible] राजीनामे में स्वीकार किया तथा इसी अनुसार हिस्सा दुरस्त करने हेतु [illegible] सहमत है अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र [illegible] मत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम मुसलमानो की [illegible] के खेत खसरा संख्या 46/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रफल 7.2843 हेक्टेयर में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 08.11.2021 को पारित नामान्तरकरण संख्या 156 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को पुनः जांच व पुनः पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित व विधि संगत समझते है।

## –: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 08.11.2021 जो ग्राम पंचायत दूदिया कलां द्वारा पारित किया के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रति प्रेषित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मुसलमानो की ढाणी पटवार मण्डल मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 46/19 क्षेत्रफल 7.2843 हेक्टेयर बारामी दोयम के सम्बन्ध में बेचान कता जेती बेवा पूरा द्वारा पंजीकृत बेचाननामें दिनांक 24.02.1997 पंजीयन कमांक 306/1997 व बेचान कता दलाराम पुत्र समाराम उर्फ सामाराम द्वारा पंजीयन दिनांक 30.10.2021 पंजीयन कमांक 202103110101564 का समग्र रूप से अध्ययन करते हुए तथा खसरा नम्बर 46/19 में वर्तमान में दर्ज सभी खातेदारों को नोटिस जारी करते हुए साक्ष्य सबुत लेकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विधिसंगत निर्णय पारित करे। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner